

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. 291/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS-2023/234 कनकारी/ग्रामिणारी	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

18/6 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/6/23  
 को पेश हो।

30/6/25  
 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/9/25  
 को पेश हो।

10/9/25  
 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/9/25  
 को पेश हो।

20/9/25  
 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/10/25  
 को पेश हो।

23/10/25  
 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/11/25  
 को पेश हो।

03/11/2025

वकूलाप उपास्थ तहसीलदार नीमकाथाना से  
 प्रकरण में रास्ते के संबंध में लांच रिपोर्ट पूर्व  
 में प्राप्त हुई। तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन  
 किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट  
 जारी की प्रति में त्रुटि होने के लिए सूचना  
 सूची का खसरा नंबर 469 ले होकर  
 जाता है। उक्त खसरा नंबर के खालेदार  
 का प्रकटागत को प्रकरण में प्रकटा नहीं  
 बनाया गया है। किन्तु उक्त प्रकटागत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में</p>
	<p>को सुनने बिना प्रकरण में निर्णय पालित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः पार्सी को उक्त प्रकरण नम्बर के खारिज कारणों को शामिल करते हुए तथा प्रकरण P/S 251 (A) RTA के पेश किया जाने की अनुमति प्रदान करते हुए कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फावली फेसल शमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफतर है। निर्णय लैट एजलास सुनाया गया।</p>	

*[Handwritten Signature]*

09